"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई,दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 566] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 26 दिसम्बर 2013—पौष 5, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-9/2008/1-7.—राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 05-08-2008 द्वारा जारी "लोकनायक जयप्रकाश नारायण" (मीसा/डी. आई. आर. के अंतर्गत राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उपरोक्त नियमों में,

(1) नियम 4 के पश्चात् निम्नांकित परन्तुक जोड़े जायें -

"परन्तु ऐसे प्रकरणों में जहां जेल/पुलिस थाना तथा जिला मजिस्ट्रेट का निरूद्धी संबंधी शासकीय अभिलेख उपलब्ध न हो, उन प्रकरणों में आवेदक द्वारा स्वयं का शपथ पत्र मान्य होगा, लेकिन शपथ पत्र के अलावा उसे मीसा/डी. आई. आर. के अधीन राजनैतिक या सामाजिक कारणों से उसके साथ निरूद्ध रहे उसके जिले या समीपवर्ती जिले के किन्हीं दो मीसाबंदियों द्वारा दिया गया ऐसा प्रमाण पत्र जिसमें कैद में रहने की अवधि का उल्लेख हो एवं वह प्रमाण पत्र जिले के लोकसभा/विधानसभा के वर्तमान/भूतपूर्व सदस्य द्वारा प्रमाणित किया गया हो, भी आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा :

परन्तु ऐसे व्यक्ति जो मीसा/डी. आई. आर. के अधीन राजनैतिक या सामाजिक कारणों से एक माह से कम कितनी भी अवधि तक के लिए निरूद्ध रहा हो, को उसकी निरूद्ध अवधि के संबंध में संबंधित जेल अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र मान्य होगा :

परन्तु ऐसे व्यक्ति जो मीसा/डी. आई. आर. के अधीन राजनैतिक या सामाजिक कारणों से जेल/पुलिस थाना में निरूद्ध रहे हों, किन्तु निरूद्धी संबंधी जेल/पुलिस थाना तथा जिला मजिस्ट्रेट का कोई शासकीय अभिलेख उपलब्ध न हो, को मीसाबंदी के आधार पर स्व-रोजगार हेतु दिए गए ऋण के मूलधन एवं ब्याज माफी संबंधी जिला कलेक्टर का प्रमाण पत्र मान्य होगा."

(2) नियम 5 के उपनियम (1) में शब्दों "मीसा/डी. आई. आर. के अंतर्गत राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध" के पश्चात् शब्द "ऐसे व्यक्ति जो एक माह से कम कितनी भी अवधि के लिये निरूद्ध रहे हों, उन्हें रुपये 5000/- प्रतिमाह" अन्त:स्थापित किए जायें.

(3) नियम 5 के उपनियम (1) में शब्द "छ: माह" के स्थान पर, शब्द "पांच माह" प्रतिस्थापित किया जाए.

(4) नियम 5 के उपनियम (1) का परन्तुक विलोपित किया जाए.

(5) नियम 15 में अंक एवं शब्द "31 दिसंबर 2009" के स्थान पर, अंक एवं शब्द "31 दिसंबर 2014" प्रतिस्थापित किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2013.